प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.05.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का एक इन्वर्टर व 02 बैटरा बरामद ।

दिनांक 23.05.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा रात्रि में गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटनायें कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.सलमान पुत्र करीमुद्दीन निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद 2.सोनू उर्फ बंदर पुत्र यशपाल निवासी जागृति विहार कालिया गढ़ी थाना मेडिकल जनपद मेरठ को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से विभिन्न स्थानों से चोरी का सामान क्रमशः एक इन्वर्टर व दो बैटरा बरामद हुए जिसके संबंध में थाना मुरादनगर पर 02 अभियोग पंजीकृत है, उक्त पंजीकृत अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा- 331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस की बढोतरी की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने अब तक अलग-अलग कई स्थानों से चोरी की हैं जिसमें एक सप्ताह पूर्व हम दोनों ने मिलकर कम्पोजिट विद्यालय काकड़ा में रात्रि में स्कूल की खिड़की को तोड़कर स्कूल से एक इन्वर्टर व 02 बैटरा चोरी किये थे। जिसमें से 01 इन्वर्टर व एक बैटरा तो हम दोनों ने अगले दिन ही एक राह चलते कबाड़ी को 8000 रूपये में बेच दिये थे तथा जो पैसे हमें मिले वो हम दोनों ने आपस में बांट कर अपने खर्चों में खर्च कर दिये तथा अभियुक्त सलमान ने बताया कि मैंने अपने साथी रूकसाद व भूरा के साथ ग्राम रेवड़ी रेवड़ा में अरूण कसाना के स्कूल में रात्रि में स्कूल का ताला तोड़कर वहां से एक इन्वर्टर व एक बैटरा व एक गैस सिलेण्डर, कुछ खाने का सामान भी चोरी किया था। जिसमें गैस सिलेण्डर उसी रात में रूकसाद अपने साथ ले गया था। मैने रूकसाद व भूरा के साथ मिलकर रावली में 04 से 05 ट्यूबेल पर भी चोरी की थी परन्तु टयूबेल चोरी का सारा सामान रूकसाद व भूरा के पास ही है। मुझे तो उन लोगो ने बस 1500 रूपये दिये थे जोकि उसी दिन मेरे से खर्च हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1.सलमान पुत्र करीमुद्दीन निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
2.सोनू उर्फ बंदर पुत्र यशपाल निवासी जागृति विहार कालिया गड़ी थाना मेडिकल मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण

1. रूकसाद पुत्र दिलशाद उर्फ मोटा निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।
2. भूरा पुत्र मनसब निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी किये गये सामान में से एक इन्वर्टर व 02 बैटरा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त सलमान के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी की घटनाओं के संबंध 03 अभियोग पंजीकृत हैं । अभियुक्त सोनू उर्फ बंदर के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी की घटना के संबंध में 01 अभियोग, जनपद मेरठ में विभिन्न थानों पर चोरी की घटनाओं के संबंध में 13 अभियोग व धोखाधडी के संबंध में 02 अभियोग तथा थाना नन्दग्राम गाजियाबाद में चोरी की घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.05.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री उम्र करीब 07 वर्ष के साथ विपक्षी हर्ष पुत्र हरीराम द्वारा छेडछाड करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा-74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दौराने विवेचना, बयान पीडिता एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा- 65(2) बीएनएस व 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.05.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हर्ष पुत्र हरिराम हाल निवासी अंकुर विहार गाजियाबाद, मूल पता ग्राम लोहार पश्चिम, पोस्ट बंधुआ कलाँ, थाना धम्मोर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 19 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वादी और मैं अपने-अपने परिवार के साथ में एक ही घर में नीचे की मंजिल पर किराये पर रहते है। वादी की 07 वर्ष की पुत्री जब घर की पहली मंजिल पर बने बाथरुम में गयी थी तो मैंने मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

हर्ष पुत्र हरिराम हाल निवासी अंकुर विहार गाजियाबाद, मूल पता ग्राम लोहार पश्चिम, पोस्ट बंधुआ कलाँ, थाना धम्मोर जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.04.2026 को वादिया द्वारा थाना लोनी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रामजीत पुत्र रामसुंदर निवासी निशांत कॉलोनी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद द्वारा वादिया की बेटी उम्र करीब 22 वर्ष के साथ अश्लील हरकते करना व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 74/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता के बयानों व मेडीकल के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 74 बीएनएस का लोप किया गया एवं धारा- 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 23.05.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त रामजीत पुत्र रामसुंदर निवासी निशांत कॉलोनी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा और वादिया की बेटी का एक-दूसरे के घर आना जाना था। वादिया की बेटी की शादी से पहले मैंने दिनांक 01.04.2026 को वादिया के घर जाकर मौका पाकर वादिया की बेटी के साथ गलत काम किया था और कहा कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रामजीत पुत्र रामसुंदर निवासी निशांत कॉलोनी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस मोबाइल चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को मय चोरी किए गए मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मो0 साइकिल सहित किया गिरफ्तार

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना, लोकल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोबाइल फोन चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त अभिषेक को चैकिंग के दौरान पीता फार्म के पास भाटिया रोड से मय चोरी किए हुए मोबाईल फोन (रेडमी 14) सम्बन्धित मु0अ0सं0 0187/26 व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं नशा करने के आदी हूं। अपने नशे की लत पूरा करने के लिए मैंने यह मोबाइल फोन करीब 01 महीने पहले लोहियानगर पीतल मन्दिर चौक के पास से एक महिला जो अपने 02 छोटे छोटे बच्चो के साथ जा रही थी उसके द्वारा बच्चे के जूते पहनाने के दौरान सडक पर नीचे रखे उक्त फोन को अपने एक अन्य साथी के साथ चोरी किया था तथा मैं इसी फोन को आज बेचने के लिए जा रहा था कि पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1.अभिषेक पुत्र राजकुमार, नि0 म0नं0 एम0 410, शिब्बनपुरा, थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः

1. 01 मोबाइल (रेडमी 14) सम्बन्धित मु0अ0सं0 0187/26 थाना सिहानीगेट, गा0बाद
2. घटना में प्रयुक्त 01 स्प्लेंडर मोटर साइकिल (रजि0 नं0 UP14EX 2926)

आपराधिक इतिहास व वाँछित

1.अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त थाना कविनगर गा0बाद के मु0अ0सं0 0298/26 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 0256/26 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस में वांछित चल रहा है। तथा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना कविनगर गा0बाद पर चोरी के 02 अभियोग थाना सिहानीगेट पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद आमजन से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अपराध के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी रहेगा।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 20.05.2026 को थाना खोडा पर वादिया/नाबालिक ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 16.03.24 से अब तक अभय पुत्र रामप्रताप नि0 ग्राम ढल्ना डूसरी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर धारा 64(1) बीएनएस व 5एल/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 23.05.26 की रात्रि में थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त अभय पुत्र रामप्रताप नि0 ग्राम ढल्ना डूसरी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 19 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी दोस्ती वादिया से करीब 02 वर्ष पहले हुई थी। तभी से हम लोग एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम दोनों के बीच कई बार शारीरिक सम्बन्ध भी बने थे। मैंने वादिया से झूठा शादी का वादा कर दिया था। वो मुझ पर बार-बार दवाब बना रही थी। मैंने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया था। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. अभय पुत्र रामप्रताप नि0 ग्राम ढल्ना डूसरी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 19 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर उक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।